बीड़ी कर्मकारों को दी जाने वाली तम्बाकू की मात्रा

58. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय देश में निजी निर्माताओं, ठेकेदारों और बिचौलियों द्वारा बीड़ी कर्मकारों को एक हजार बीड़ी बांधने हेतु भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न मात्रा में तम्बाकू और तेंदु पत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त मात्रा में दिए जा रहे तम्बाकू और तेंदू पत्ते से एक हजार बीड़ी बांधना न केवल कठिन बल्कि असंभव भी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में एक रूपता लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ताकि बीड़ी कर्मकारों को शोषण से बचाया जा सके ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) जी हां ठेकेदारों सटटेदारों जैसे बिचौलियों द्वारा बीड़ी कर्मकारों को तेंदू पत्ता, तम्बाकू आदि जैसी कच्ची सामग्री की अपर्याप्त आपूर्ति के संबंध में शिकायतें मिली हैं।

(ग) चूंकि इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार समुचित प्राधिकारी है, अतः उनसे अनुरोध किया गया है कि विभिन्न आकार की बीड़ियां बनाने के लिये बीड़ी कर्मकारों को दी जाने वाली कच्ची सामग्री अर्थात् तम्बाकू, तेंदू पत्ता आदि के मानकीकरण के लिए राज्य सरकारें, नियोक्ताओं, कर्मकारों और सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल करके त्रिपक्षीय समिति का गठन करें।

"टी सीरिज" के विरूद्ध लंबित श्रम संबंधी मामले

59. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नोयडा स्थित मैसर्स टी सीरिज के विरूद्ध श्रम समस्याओं से संबंधित कितने मामले लम्बित हैं; और

(ख) श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए सरकार टी सीरिज के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बाल श्रमिकों की रक्षा के लिये नई योजना

60. **श्री राम नरेश यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिये कोई नई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न संगठनों /संस्थाओं में 23 प्रतिशत से भी अधिक बाल श्रमिक कार्यरत हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन बाल श्रमिकों का शोषण रोकने और उन्हें अधिक मजदूरी दिलाने के लिये इन संगठनों/संस्थाओं को क्या-क्या निर्देश दिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं. 1981 की जन-गणना के अनुसार, खनन और उत्खनन और विनिर्माण जैसे संगठित क्रियाकलापों में नियुक्त बाल श्रमिकों का औसत कुल बाल जनसंख्या का 5.08% है।